# न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

**रसद अपील संख्या 132/2020**
**GCMS No.- 2020/00168**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| राजेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी आंतरोली कलां तहसील डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान, उचित मूल्य दुकानदार सारूण्डा, ग्राम पंचायत आंतरोली तहसील डेगाना जिला नागौर | | जिला रसद अधिकारी, नागौर |

उपस्थिति

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री महावीरसिंह ।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामअवतार पूनिया।

निर्णय दिनांक– 28-12-2020

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 99/2017 राजस्थान सरकार बनाम राजेन्द्र सिंह में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2020 के विरूद्ध पेश की है। अपील के मयाद प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश किया। अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि हाल ही में अगस्त 2020 के अंतिम सप्ताह में मुरारीलाल निरीक्षक का फोन आया और उन्होने बताया कि अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि का जब्त कर लिया गया है और गबन की गई सामग्री की वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिससे अपीलांट को कथित निर्णय एकतरफा करने की जानकारी हुई है और उसने नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर प्रकरण के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की हैं, जानकारी होने पर तुरन्त ही यह अपील पेश की है, जो जानकारी से अंदर मियाद होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना व अपील खारिज करने का निवेदन किया। वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में किये गये कथनों पर विश्वास करते हुऐ न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना उचित होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट राजेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत उचित मूल्य दुकानदार सारूण्डा तहसील डेगाना के विरूद्ध एक विभागीय प्रकरण संख्या 99/2017 दर्ज कर पेशी दिनांक 31.07.2020 निर्धारित की गई थी। अपीलार्थी को कोई सूचना कथित प्रकरण की नहीं दी गई। रेस्पोडेन्ट ने अन्य मनगढत तथ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2025.04.07 16:07:55 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज कर बिना साक्ष्य सबूत और सूनवाई का मौका प्रदान किये अपने आदेश दिनांक 31.07.2020 के द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया और जमासुदा प्रतिभूमि 1000/– रूपये जब्त करते हुए गबन की गई राशन सामग्री पीडीआर एक्ट के तहत नियमानुसार वसूली की कार्यवाही का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गई हैं।

**3(1)**—निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून और तथ्यो के विपरीत होने से तथा अपीलांट को साक्ष्य सबूत व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं दिया गया, कागजी तौर पर नोटिस दिये जाने के अंकन किये गये हैं, जिससे निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

**3(2)**—अपीलांट की धर्मपत्नि श्रीमति सम्पतकंवर लकवाग्रस्त हो जाने के कारण उसे ईलाज हेतु नई दिल्ली ले जाया गया, जिसके संबंध में दिनांक 22.05.2017 को अपीलांट ने स्वयं रेस्पोडेन्ट के समक्ष उपस्थित होकर लिखित में आवेदन पेश कर दिया। तत्पश्चात् अपीलांट अपनी पत्नि के ईलाज हेतु नई दिल्ली गया हुआ था, जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रकट है कि रेस्पोडेन्ट ने जो कोई भी सूचनाएं अथवा नोटिस प्रेषित करना बताया हैं, वह कभी भी अपीलांट को प्राप्त ही नही हुई थी, क्योंकि वह तो अपनी पत्नि के ईलाज में दिल्ली गया हुआ था और गांव में उपस्थित ही नहीं था।

**3(3)**—निर्णय जैर अपील में रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्व पूर्व से विभागीय प्रकरण संख्या 296/2016, 481/2016, 546/2016 एवं 88/2017 के दर्ज होने का तथ्य अभिलिखित किया हैं, जिसमें भी उपस्थित नहीं होने का अंकन किया गया है। यद्यपि उपरोक्त सभी प्रकरण मनमाने ढंग से अपीलांट की जानकारी के बिना और उसे साक्ष्य सबूत और सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना दर्ज किये गये हैं, जिनमे भी कोई सूचना अथवा नोटिस अपीलांट को नहीं दिये गये।

**3(4)**—रेस्पोडेन्ट ने पोश मशीन 22762 में दर्ज स्टॉक के अनुसार डीलर को आपूर्ति किये गये एंव डीलर द्वारा वितरित किये गये राशन सामग्री के भौतिक सत्यापन पर 15.15 क्विंटल गेहूं, 945 लीटर केरोसीन और 6.49 क्विंटल चीनी कम पाई जाने का अंकन किया है। जिसके संबंध में डीलर द्वारा कोई जवाब नहीं देने का कथन अंकित किया गया है। उपरोक्त कोई भी जांच अथवा भौतिक सत्यापन अपीलांट की उपस्थिति के बिना किया गया हैं और इस संबंध में सभी दस्तावेजात उपलब्ध होने के बावजूद भी उन्हे प्रकट नहीं किया गया है। जिससे उपरोक्त सभी आरोप एकतरफा मिथ्या होना प्रमाणित है।

**3(5)**—निर्णय जैर अपील में डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 21.06.2017 को निलम्बित करना और उपस्थिति हेतु नोटिस प्रेषित किये जाने का अंकन किया गया है। यद्यपि कोई भी नोटिस कभी भी अपीलांट को प्रेषित ही नहीं किया गया और न ही अपीलांट को प्राप्त हुआ हैं, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण कार्यवाही साक्ष्य सबूत और सूनवाई का मौका दिये बिना की गई हैं, जिससे निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

**3(6)**—कभी भी किसी भी उपभोक्ता ने कोई शिकायत माल के कम तोलने अथवा उपलब्ध नहीं करवाने के संबंध में कभी भी नहीं की हैं, इसके बावजूद भी गबन जैसे गम्भीर आरोप लगाकर और उसकी जांच नहीं की जाकर सामग्री की पीडीआर एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही के आदेश देना खिलाफ कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

**3(7)**—हाल ही में अगस्त 2020 के अंतिम सप्ताह में मुरारीलाल निरीक्षक का फोन आया और उन्होने बताया कि अपीलांट का प्राधिकार [illegible] निरस्त कर प्रतिभूति राशि का जब्त कर लिया गया है और गबन की गई सामग्री की [illegible] कार्यवाही की जायेगी, जिससे अपीलांट को कथित निर्णय एकतरफा करने की जानकारी [illegible] का कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी [illegible] 2017 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2020 को निरस्त किये जाने [illegible] पत्र को पूर्ववत रिस्टोर किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 19:07:55 IST
Reason: Self Attested

**4.** प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध जॉच में उ.मू.द. बन्द पायी गई। अपीलान्ट से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर दुकान नहीं



न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

खोलने की धमकी दी गई, व अभद्र व्यवहार किया गया। जबकि विभागीय नियमों के अनुसार अवकाश लेने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रवर्तन निरीक्षक जायल द्वारा दिनांक 14.06.2017 को प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट में उ.मू.दु. अपीलान्ट द्वारा 2017 में उपभोक्ता सप्ताह उच्चाधिकारियों को अवगत कराये बिना ही महिने में 2–4 दिन ही राशन दुकान खुली रखी। माह मई, 2017 में उपभोक्ताओं को बिना किसी उचित कारण के राशन सामग्री वितरित नहीं की गई। डीलर के विरूद्ध अन्य दर्ज विभागीय प्रकरण संख्या 296/2016, 418/2016, 546/2016 एवं 88/2017 भी दर्ज है, जिनमें भी अपीलान्ट कभी तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट की पोश मशीन 22762 में दर्ज स्टॉक अनुसार अपीलान्ट को आपूर्ति किये गये एवं अपीलान्ट डीलर द्वारा वितरण किये गये राशन सामग्री के भौतिक सत्यापन पर 15.15 क्विं गेहूँ, 945 लीटर केरोसीन एवं 6.49 क्विं. चीनी कम पायी गई जिसका अपीलान्ट डीलर द्वारा कोई जबाब नहीं दिया। अपीलान्ट द्वारा बरती गई उक्तानुसार गंभीर अनियमितताओं के कारण अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 21.06.2017 को निलम्बित किया गया। अपीलान्ट को उक्त सभी प्रकरणों में तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने एवं कारण बताओ नोटिस का जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर अपीलान्ट डीलर को पत्रांक–1687 दिनांक 05.07.2017 द्वारा पुनः नोटिस जारी किया, लेकिन अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर अपीलान्ट को पुनः दिनांक 20.11.2017 को अंतिम सुनवाई का नोटिस जारी किया, फिर भी अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर पुनः दिनांक 09.10.2018 को कारण बताओं नोटिस जारी किया परन्तु अपीलान्ट अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। इसके पश्चात अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस की प्रति तहसीलदार डेगाना को जरिये रजिस्टर्ड डाक के भिजवाई परन्तु अपीलान्ट डीलर न तो उपस्थित हुआ न ही उसके द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार अपीलान्ट को उक्तानुसार प्रकरणों में सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित होकर जबाब एवं अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या–99/2017, 296/2016, 418/2016, 546/2016 एवं 88/2017 के संबंध में निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया एवं प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गबन की गई राशन सामग्री का पीडीआर एक्ट में नियमानुसार वसूली आदि का निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील सही होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विचाराधीन पांच विभागीय प्रकरणों को यथा विभागीय संख्या–99/2017, 296/2016, 418/2016, 546/2016 एवं 88/2017 के संबंध में संयुक्त रूप से निर्णय जैर अपील पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय जैर अपील का अवलोकन करने से पूर्ण रूप से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौनसे प्रकरण में किसके द्वारा जॉच की गई, कौन–कौन से प्रकरण जॉच रिपोर्ट में क्या–क्या दस्तावेज तैयार किये गये, जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को किन–किन आरोपों के संबंध में कारण बताओं नोटिस कौन–कौन से प्रकरण में जारी किये गये एवं आरोप किस प्रकार से साबित है ? इस संबंध में समुचित दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय केवल मात्र भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। एक योग्य अधिनस्थ न्यायालय से इस प्रकार के निर्णय की अपेक्षा कतई नहीं की जा सकती है और इस प्रकार से पारित किया गया निर्णय किसी भी सूरत में विधि सम्मत नहीं है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो कि उक्त प्रत्येक प्रकरण में अपीलान्ट को जारी नोटिस की अपीलान्ट द्वारा विधिवत तामील कर ली गई हो। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपर्युक्तानुसार विभागीय प्रकरणों में अपीलान्ट की तामील करवाये बिना ही एवं उसे सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा निर्णय जैर अपील पारित किया जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को न्यायिक निर्णय की प्रकिया एवं निर्णय लेखन के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुऐ अपीलान्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:07:55 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध प्रत्येक विभागीय प्रकरण में पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह न्यायिक निर्णय की प्रकिया एवं निर्णय लेखन के विधि अनुरूप सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुऐ अपीलान्ट के विरूद्ध प्रत्येक विभागीय प्रकरण में समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से प्रत्येक प्रकरण के संबंध में पृथक–पृथक विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड भिजवाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7. निर्णय सुनाया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:07:55 IST
Reason: SelfAttested